

मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति
(लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र. शासन)

सूचना का अधिकार
अधिनियम –2005 के अंतर्गत
17 बिन्दुओं पर आधारित विभागीय जानकारी

बिन्दु क्र. 1– परिचय :

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत इस अधिनियम की उद्देशिका में संवेदनशील जानकारी/सूचना की गोपनीयता परिरक्षित रखने और नागरिकों में लोक हितों को अक्षुण्ण रखने तथा लोकतांत्रिक आदर्शों को सर्वोपरि मानने में संभावित संघर्ष को वास्तविक व्यवहार की पद्यति पर दूर रखते हुए सामंजस्य बिठाने के यह अधिनियम लाया गया है।

यह अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-3 के अनुसार राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति 15 जून 2005 को होने के पश्चात 21 जून 2005 को भारत के असाधारण राजपत्र भाग-2 खण्ड एक पार्ट -2, अनुभाग-1 दिल्ली, में प्रकाशित होने के तत्काल प्रभाव से इसकी धाराएं, धारा 4 की उपधारा-1 तथा धारा-5 की उपधारा-1 और 2, धाराएं 12, 13, 15, 16, 24, 27, 28 लागू हो गई थी। शेष धाराएं इसके अधिनियमित होने के 120 दिन में प्रवृत्त हो गई है। मध्यप्रदेश में यह कानून 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ।

बिन्दु क्र. 2- उद्देश्य:

- प्रदेश में एच.आई.वी./एड्स के फैलाव को कम करना।
- एच.आई.वी./एड्स से बचाव हेतु व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करना।
- एच.आई.वी./एड्स की परामर्श एवं जाँच।
- एच.आई.वी./एड्स से बचाव का प्रशिक्षण जिसमें मेडिकल आफिसर, नोडल अधिकारी, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग आदि को प्रदान करना।
- सुरक्षित रक्त एवं स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देना।
- एड्स रोगियों को निःशुल्क एन्टीरेट्रोवायरल उपचार उपलब्ध कराना।
- एच.आई.वी./एड्स के अन्तर्कीय समन्वय स्थापित करना।
- कंडोम (निरोध) का निःशुल्क वितरण।

समिति का ध्येय :

मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण का समग्र ध्येय एच.आई.वी./एड्स के प्रतिपक्ष में एक विशाल प्रतिक्रिया का नेतृत्व और उसका उत्प्रेरण करना है, ताकि एच.आई.वी. संक्रमण के फैलाव को कम करना संभव हो। एच.आई.वी. संक्रमण के खतरों को लोगों में कम किया जा सके एवं एच.आई.वी./एड्स से प्रभावित व्यक्तियों के लिए सामुदायिक और पारिवारिक देखरेख को बढ़ावा देते हुए भेदभाव रहित वातावरण बनाने में सफल हो सकें।

इतिहास :

भारत में एच.आई.वी./एड्स का पहला रोगी वर्ष 1986 में चेन्नई (मद्रास) में प्रतिवेदित हुआ था, तब से लेकर अब तक की इस अवधि में एच.आई.वी./एड्स हमारे देश के लोगों के लिए प्रमुख स्वास्थ्य समस्या बन गया है। मध्यप्रदेश में एड्स का पहला मामला वर्ष 1988 में प्रतिवेदित हुआ था। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, नई दिल्ली के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदेश में एच.आई.वी./एड्स की रोकथाम एवं जन सामान्य को एच.आई.वी./एड्स की जानकारी देने के लिए दिनांक 14 जुलाई 1998 को मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति का गठन किया गया। यह समिति लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, नई दिल्ली के दिशा निर्देशों के अनुरूप एच.आई.वी./एड्स नियंत्रण संबंधी गतिविधियों को प्रदेश में संचालित करती है। एच.आई.वी./एड्स एक राष्ट्रीय समस्या है और इसे संयुक्त रूप से तब ही नियंत्रण किया जा सकता है जब एच.आई.वी./एड्स से बचाव की रणनीतियों के मामले में जन समुदाय, स्वयं सेवी संस्थाओं और सरकारी क्षेत्रों के बीच समन्वय हो और वे एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के महत्व को समझते हुए अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़े कार्यकलापों में इसे एक महत्वपूर्ण हिस्सा माने, समिति इसके लिए सतत प्रयासरत है।

समिति के कर्तव्य एवं मुख्य कृत्य :

- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के दिशा निर्देशानुसार प्रदेश में एच.आई.वी./एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का क्रियान्वयन।
- एच.आई.वी की जाँच की सुविधा निर्धारित शुल्क पर उपलब्ध कराना एवं परामर्श तथा एड्स रोगियों को ए.आर.टी. उपचार निःशुल्क उपलब्ध करवाना।

समिति द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं संक्षिप्त विवरण :

क्र.	प्रदत्त सेवाएं	संक्षिप्त विवरण
1.	सेंटीनल सर्वेलेस	प्रदेश में एच.आई.वी. संक्रमण की दर को ज्ञात करने के लिए एक निश्चित समय अंतराल में प्रतिवर्ष चयनित स्थानों पर निर्धारित संख्या में रक्त नमूनों को एकत्रित किया जाता है तथा प्राप्त रक्त नमूनों में एच.आई.वी. संक्रमण की जाँच की जाती है। ये रक्त नमूने असंबद्ध एवं अज्ञात प्रतिदर्श प्रणाली से एकत्रित किए जाते हैं।
2.	यौन रोग जाँच एवं उपचार	लोगों में यौन रोग होना सामान्य बात है। यौन रोगों की जाँच एवं उपचार के लिए प्रदेश के 45 जिला

क्र.	प्रदत्त सेवाएं	संक्षिप्त विवरण
		चिकित्सालयों एवं 5 चिकित्सा महाविद्यालयों में यौन जनित रोग निदान केन्द्र (एस.टी.डी. क्लीनिक) संचालित किए गये हैं। जहां पर रोगियों को निःशुल्क उपचार एवं दवाईयां प्रदान की जाती है।
3.	कण्डोम प्रोत्साहन गतिविधियाँ	एच.आई.वी संक्रमण के साथ ही यौन जनित संक्रमणों एवं अनचाहे गर्भ से निदान हेतु निःशुल्क निरोध का वितरण प्रदेश के चिकित्सालय, चिकित्सा महाविद्यालयों, आई.सी. टी.सी., एस.टी.डी.क्लीनिक इसके साथ ही लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजनाओं के माध्यम से वितरित किए जाते हैं।
4.	अशासकीय संस्थाओं की भागीदारी	उच्च जोखिम समूह को एच.आई.वी./एड्स संक्रमण के खतरों से बचाने के लिए स्वयं सेवी संगठनों के माध्यम से लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं।
5.	रक्त सुरक्षा कार्यक्रम	रक्त ही जीवन का आधार है। अतः प्रदेश में रक्त के एकत्रीकरण और भण्डारण का कार्य लाइसेंसीकृत रक्तकोषों द्वारा किया जा रहा है। चिकित्सा महाविद्यालयों एवं जिला चिकित्सालयों में स्थित रक्तकोष राज्य सरकार के अधीन कार्यरत हैं। वर्तमान में 05 चिकित्सा महाविद्यालय, 35 जिला स्तरीय एवं 02 सिविल अस्पताल रक्तकोष कार्यरत हैं।
6.	सूचना, शिक्षा संचार गतिविधियाँ	सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों के माध्यम से एच.आई.वी./एड्स से बचाव संबंधी जानकारी व्यापक स्तर पर सामान्य जन को दी जा रही है। प्रचार-प्रसार मुद्रित माध्यम एवं दृश्य, श्रव्य संचार माध्यमों जैसे आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि के माध्यम से दी जा रही है।
7.	एकीकृत परामर्श एवं जाँच केन्द्र	एच.आई.वी./एड्स का परामर्श एवं जाँच के लिए प्रदेश के सभी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं जिला चिकित्सालयों में एकीकृत परामर्श एवं जाँच केन्द्र स्थापित किए गये हैं, इन केन्द्रों पर व्यक्ति को निःशुल्क परामर्श एवं

क्र.	प्रदत्त सेवाएं	संक्षिप्त विवरण
		उसकी लिखित सहमति से एच.आई.वी. जाँच की जाती है।
8.	पी.पी.टी.सी.टी. केन्द्र	संक्रमित माँ से होने वाले शिशु को भी एच.आई.वी. संक्रमण की आशंका होती है ऐसे माता-पिता से होने वाले संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रिवेंशन ऑफ़ पेरेंट्स टू चाइल्ड ट्रांसमिशन केन्द्र प्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित है।
9.	एन्टी रेट्रोवायरल उपचार सुविधा	एच.आई.वी./एड्स के रोगियों को चिकित्सक के परीक्षण एवं सलाह के आधार पर ए.आर.टी. की दवाइयाँ निःशुल्क दी जाती है। यह केन्द्र प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर, जबलपुर एवं भोपाल में संचालित है।
10.	प्रशिक्षण	एच.आई.वी./एड्स की रोकथाम से जुड़े चिकित्सा अधिकारियों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ-साथ लैब तकनीशियन, परामर्शदाताओं एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है जिससे इस महामारी की रोकथाम में मदद हासिल हो सके।
11.	अन्तर्क्षेत्रीय समन्वय	इसके अंतर्गत शासकीय विभागों, स्वयं सेवी संगठनों, कार्पोरेट निकायों आदि के बीच बहुआयामी सहयोग हेतु समन्वय के सतत प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे एड्स पीड़ितों की देखभाल एवं एच.आई.वी./एड्स के सामाजिक, आर्थिक प्रभावों को कम किया जा सके।
12.	अवसरवादी संक्रमण / पी.ई.पी	प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों एवं चिकित्सा महाविद्यालयों में अवसरवादी संक्रमण एवं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस की दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है।

समिति का संगठनात्मक ढांचा:

क्रमांक	पद नाम	कुल पद
1	परियोजना संचालक	1
2	अतिरिक्त परियोजना संचालक	1
3	संयुक्त संचालक (सर्वेलेस)	1
4	संयुक्त संचालक(रक्त सुरक्षा)	1
5	संयुक्त संचालक (सी.एस.टी.)	1
6	इपिडेमियोलॉजिस्ट	1
7	उप संचालक (यौन रोग)	1
8	उप संचालक (सर्वेलेस)	1
9	उप संचालक (रक्त सुरक्षा)	1
10	सलाहकार (स्वैच्छिक रक्तदान)	1
11	उप संचालक (सी.सी.सी.)	1
12	सहायक संचालक (यौन रोग)	1
13	सहायक संचालक (नर्सिंग)	1
14	सलाहकार (सी.एस.टी.)	1
15	जीपा समन्वयक	1
16	सांख्यिकी अधिकारी	1
17	औषधि निरीक्षक (गुणवत्ता प्रबंधक)	2
18	सांख्यिकी सहायक/कम्प्यूटर प्रोग्रामर	1
19	कार्मिक सहायक	2
20	सहायक संचालक (उपार्जन)	1
21	भंडार अधिकारी	1
22	प्रशासन सहायक	1
23	लेखापाल	2
24	उपार्जन सहायक	2
25	निज सहायक	1
26	तकनीकी सहायक (रक्त सुरक्षा)	1
27	कार्यालय सहायक (निम्न श्रेणी लिपिक)	1
28	ड्रायवर	1
29	पत्र वाहक	2

क्रमांक	पद नाम	कुल पद
30	संयुक्त संचालक वित्त	1
31	सहायक संचालक वित्त	1.
32	लेखापाल	1
33	वित्त सहायक	2
34	निज सहायक	1
35	संयुक्त संचालक (आई.ई.सी)	1
36	उप संचालक (आई.ई.सी.)	1
37	उप संचालक (आई.सी.टी.सी.)	1
38	सहायक संचालक(डी.पी.)	1
39	सहायक संचालक (आई.सी.टी.सी.)	1
40	सहायक संचालक (टी.आई.)	1
41	सलाहकार (युवा मामले)	1
42	सलाहकार (सिविल सोसायटी मेनस्ट्रिंग)	1
43	एम. एण्ड ई अधिकारी	1
44	संयुक्त संचालक (टी.आई.)	1
45	प्रशिक्षित शीघ्रलेखक (कम्प्यूटर)	3
46	डिविजनल असिस्टेंट	18

जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था:

प्रदेश एवं जिला स्तर में समिति कार्यालय पर सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी नियुक्त किये गये हैं।

राज्य स्तर पर :

क्र.	नाम	पदनाम	पता
1.	श्री ओमेश मुंदडा परियोजना संचालक	प्रथम अपीलीय अधिकारी	म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति, द्वितीय तल, तिलहन संघ भवन भोपाल।

2.	डॉ. यू.सी. यादव संयुक्त संचालक (रक्त सुरक्षा)	लोक सूचना अधिकारी	—तदैव—
3.	श्री प्रशांत मलैया उप संचालक	सहायक लोक सूचना अधिकारी	—तदैव—

जिला स्तर पर :

क्र.	नाम	पदनाम	पता
1.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	लोक सूचना अधिकारी	समस्त जिला चिकित्सालय मध्यप्रदेश

समिति कार्यालय खुलने का समय: — प्रातः 10:30 बजे

कार्यालय बंद होने का समय — सांयः 05:30 बजे

बिन्दु क्र. 3— अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों एवं कर्तव्य का विवरण :

क्र.	नाम एवं पदनाम	शक्तियाँ		कर्तव्य
		प्रशासकीय	वित्तीय	
1.	श्री ओमेश मुंदडा परियोजना संचालक	समिति अधीनस्थ अधिकार	वित्तीय अधिकार	नाको द्वारा निर्देशित एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का संचालन
2.	श्री यू.सी. यादव, संयुक्त संचालक	रक्त सुरक्षा कार्यक्रम	—	परियोजना संचालक के मार्गदर्शन में कार्य संपादन
3.	डॉ. किरण शेजवार, संयुक्त संचालक	सर्वेलेंस कार्यक्रम	—	—तदैव—
4.	डॉ. प्रमोद चन्द्रा, उप संचालक	ओ.आई./पी.ई.पी.	—	—तदैव—
5.	डॉ. आर.के.डेहरिया, उप संचालक	एस.टी.डी. कार्यक्रम	—	—तदैव—
6.	डॉ. आर.गुमाश्ता, उप संचालक	सर्वेलेंस एवं एन.जी.ओ. संबंधी कार्य	—	—तदैव—
7.	श्री व्ही.आर.निरगुडकर, वित्त अधिकारी	वित्त	—	—तदैव—
8.	डॉ. डी.एम. सक्सेना इपिडेमियोलॉजिस्ट	इपिडेमियोलॉजिस्ट	—	—तदैव—
9.	श्रीमती सुनीला शर्मा राजा एन.जी.ओ. सलाहकार	एन.जी.ओ.संबंधी कार्य	—	—तदैव—
10.	श्रीमती सविता ठाकुर, उप संचालक	प्रशिक्षण एवं एन.जी.ओ. संबंधी कार्य	—	—तदैव—
11.	श्रीमती श्रद्धा बोस, संयुक्त संचालक	आई.ई.सी. कार्यक्रम	—	—तदैव—
12.	श्री प्रशांत मलैया, उप संचालक	आई.सी.टी.सी.	—	—तदैव—
13.	श्री धीरेन्द्र उरमलिया सहा. संचालक	दस्तावेजीकरण एवं प्रचार प्रसार	—	—तदैव—
14.	श्री अतीश श्रीवास्तव सहायक संचालक	केयर एवं एन.जी.ओ. संबंधी कार्य	—	—तदैव—
15.	श्री अरूण मावलंकर, सहायक संचालक	आई.सी.टी.सी	—	—तदैव—

क्र.	नाम एवं पदनाम	शक्तियाँ		कर्तव्य
		प्रशासकीय	वित्तीय	
16.	श्री नीरज मुकर्जी, मॉनिटरिंग एण्ड इवेल्यूएशन अधिकारी	मॉनिटरिंग एवं इवेल्यूएशन कार्य	—	—तदैव—
17.	डॉ. बसंत श्रीवास्तव सलाहकार	केयर सपोर्ट एवं ट्रीटमेंट	—	—तदैव—
18.	श्री दीपक सरकार, सलाहकार,	युवा मामले	—	—तदैव—
19.	श्री आर.एन. त्रिपाठी, उपार्जन अधिकारी	उपार्जन संबंधी कार्य	—	—तदैव—
20.	श्री प्रशांत मेहता, प्रशासकीय अधिकारी	प्रशासकीय कार्य	—	—तदैव—
21.	श्रीमती अनिता शर्मा, लेखापाल	लेखा संबंधी कार्य	—	—तदैव—
22.	श्री रजनीश दुबे, लेखा सहायक	लेखा संबंधी कार्य	—	—तदैव—
23.	श्री बी.एल.शर्मा, लेखा सहायक	कैशियर	—	—तदैव—
24.	श्रीमती अंकिता जैन, स्टेनो	रक्त सुरक्षा कार्य	—	—तदैव—
25.	श्री प्रणेश वारिज वरि. सूचना सहायक	भण्डार संबंधी कार्य	—	—तदैव—
26.	श्री पंकज पागे, वरि. सूचना सहायक	सी.एम.आई.एस.	—	—तदैव—
27.	श्री अतुल त्रिपाठी, सहायक	लेखा संबंधी कार्य	—	—तदैव—
28.	श्रीमती नीतू अग्रवाल, कम्प्यू. लिटरेट स्टेनों	निज सहायक, परियोजना संचालक	—	—तदैव—
29.	श्री सुरेन्द्र रावत, डिविजनल असिस्टेंट	वित्त शाखा	—	—तदैव—
30.	श्री कुंवरसिंह डाबर, डिविजनल असिस्टेंट	निज सहायक, परियोजना संचालक	—	—तदैव—
31.	श्री योगम्बर रावत डिविजनल असिस्टेंट	आवक—जावक शाखा	—	—तदैव—

क्र.	नाम एवं पदनाम	शक्तियाँ		कर्तव्य
		प्रशासकीय	वित्तीय	
32.	श्री प्रदीप परदेशी सूचना सहायक	कम्प्यूटर संबंधी कार्य		—तदैव—
33.	श्री के.पी. पिल्लई, वाहन चालक	—	—	—तदैव—
34.	श्री कमलसिंह नरवरिया, भृत्य	—	—	—तदैव—

बिन्दु क्र. 4— पर्यवेक्षण का तरीका एवं जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया :

समिति द्वारा अधीनस्थ शाखाओं (जिला चिकित्सालयों एवं चिकित्सा महाविद्यालयों व अन्य संस्थाओं) के माध्यम से सभी कार्यों का पर्यवेक्षण किया जाता है इसके लिए समिति के अधिकारियों द्वारा प्रदेश में एड्स नियंत्रण कार्यक्रम संचालन हेतु दौरा करके निरीक्षण एवं अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत की गई प्रोग्रेस रिपोर्ट का मूल्यांकन किया जाता है। कार्य संपादन के लिए तय किये गये लक्ष्य, प्रोग्रेस रिपोर्ट, वित्तीय व्यय संपादन इत्यादि दौरा जिम्मेदारी तय की जाती है।

बिन्दु क्र. 5 – नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन-प्रतिनिधियों से परामर्श के लिए बनाई गई व्यवस्था का विवरण :

नीति निर्धारण के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधि की परामर्श /भागीदारी का कोई प्रावधान है।

लागू नहीं

नीति क्रियान्वयन के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधि से /की परामर्श/ भागीदारी का कोई प्रावधान है?

लागू नहीं

बिन्दु क्र. 6— समिति कार्यालय में रखे जाने वाले दस्तावेजों का विवरण :

क्रं.	दस्तावेज का नाम	दस्तावेज के प्रकार जैसे रजिस्टर, किताब, डिस्कट आदि	दस्तावेज की प्रकृति एवं विषय
1.	अधिकारी/कर्मचारियों के स्थापना संबंधी	सेवा पुस्तिका, व्यक्तिगत नस्ति	स्थायी रिकार्ड
2.	अधिकारी/कर्मचारियों के लेखा संबंधित	जी.पी.एफ., वेतन एवं अन्य	स्थायी रिकार्ड एवं कम्प्यूटरीकृत
3.	घटक आधारित दस्तावेज	फाईल, नोटशीट, आदेश आदि	स्थायी रिकार्ड
4.	अभियोजन से संबंधित	अभियोग पत्र एवं निर्णय	स्थायी रिकार्ड
5	सामान्य स्टोर से संबंधित	क्रय वितरण एवं स्टॉक का विवरण	स्थायी रिकार्ड
6	विधान सभा/लोक सभा / राज्य सभा से संबंधित	प्रश्न एवं उत्तर	स्थायी रिकार्ड एवं कम्प्यूटरीकृत

बिन्दु क्र. 7— बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण:

समिति से संबद्ध निकायों का विवरण – लागू नहीं

बिन्दु क्र. 8— लोक प्राधिकरण का नाम :मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति भोपाल:

सहायक लोक सूचना अधिकारी—

क्र,सं,	नाम	पदनाम	STD Code	दूरभाष कार्यालय	आवास	फैक्स	ई-मेल एवं पता
1,	श्री प्रशांत मलैया	उप संचालक	0755	2577628 2577629	4269291	2556629	mpsacs@gmail.com म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति, तिलहन संघ भवन, द्वितीय तल, 1 अरेरा हिल्स, भोपाल-462011


लोक सूचना अधिकारी—

क्र,सं,	नाम	पदनाम	STD Code	दूरभाष कार्यालय	आवास	फैक्स	ई-मेल एवं पता
1.	डॉ. यू.सी. यादव	संयुक्त संचालक	0755	2577628 2577629	2423058	2556629	mpsacs@gmail.com म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति, तिलहन संघ भवन, द्वितीय तल, 1 अरेरा हिल्स, भोपाल 462011

अपीलीय अधिकारी—

क्र,सं,	नाम	पदनाम	STD Code	दूरभाष कार्यालय	आवास	फैक्स	ई-मेल एवं पता
1.	श्री ओमेश मुंदडा	परियोजना संचालक	0755	2577628 2577629	2537586	2556629	mpsacs@gmail.com म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति, तिलहन संघ भवन, द्वितीय तल, 1 अरेरा हिल्स, भोपाल 462011

बिन्दु क्र. 9— समिति में निर्णय लेने की प्रक्रिया :



अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

बिन्दु क्र.10— कृपया जानकारी /जनपद वार :

क्र.	नाम	पदनाम	पता
1.	श्री मो. साकिब सिद्धिकी	परामर्शदाता	जी.आर. मेडिकल कालेज ग्वालियर
2.	सुश्री रेखा अग्रवाल	परामर्शदाता	तदैव
3.	सुश्री सुमन भिलवार	लैब तकनीशियन	तदैव
4.	श्री यशवंत नामदेव	लैब तकनीशियन	ब्लड बैंक जी.आर. मेडिकल कालेज ग्वालियर
5.	श्री इंदुलाल शाक्या	लैब तकनीशियन	तदैव
6.	श्री राजीव पांडे	परामर्शदाता	भोपाल मेमोरियल अस्पताल भोपाल
7.	सुश्री गायत्री गंगराडे	परामर्शदाता	सिविल अस्पताल बैरागढ
8.	श्री अनिसा खान	लैब तकनीशियन	गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल
9.	श्री अनुज सेन	लैब तकनीशियन	ब्लड बैंक, इंदिरा गांधी गैस राहत ,भोपाल
10.	श्री शैलेन्द्र ठाकुर	लैब तकनीशियन	ब्लड बैंक गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल
11.	सुश्री रेखा बाथम	लैब तकनीशियन	तदैव
12.	सुश्री शबाना खान	लैब तकनीशियन	तदैव
13.	श्री राजेश भंडारी	लैब तकनीशियन	जिला चिकित्सालय (जय प्रकाश अस्पताल) भोपाल
14.	श्री सचिन पाटीदार	परामर्शदाता	महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर
15.	सुश्री तृप्ति भाटिया	परामर्शदाता	एम.टी.एच. इंदौर
16.	श्री ओमप्रकाश साहू	लैब तकनीशियन	महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर
17.	सुश्री प्रतिक्षा डाले	लैब तकनीशियन	ब्लड बैंक मेडिकल कॉलेज इंदौर

क्र.	नाम	पदनाम	पता
18.	सुश्री प्रीति खेर	लैब तकनीशियन	तदैव
19.	सुश्री प्रेरणा रघुवंशी	लैब तकनीशियन	तदैव
20.	सुश्री अनुराधा अग्रवाल	परामर्शदाता	नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर
21.	श्री विक्रम खरे	लैब तकनीशियन	तदैव
22.	सुश्री जयमाला भिलावे	लैब तकनीशियन	तदैव
23.	सुश्री मंजू गंगाधरन	लैब तकनीशियन	तदैव
24.	सुश्री एकता राय	लैब तकनीशियन	ब्लड बैंक जिला चिकित्सालय जबलपुर (विक्टोरिया)
25.	सुश्री रिचा शर्मा	परामर्शदाता	श्याम शाह मेडिकल कालेज रीवा
26.	सुश्री श्वेता मोदी	परामर्शदाता	चोईथराम अस्पताल इंदौर
27.	श्री गिरीश मंडलोई	लैब तकनीशियन	तदैव
28.	श्री अतुल करकरे	परामर्शदाता	चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर
29.	सुश्री श्रद्धा श्रीवास्तव	परामर्शदाता	आर.एम.आर.सी. जबलपुर
30.	श्री कृष्णकांत वर्मा	लैब तकनीशियन	तदैव
31.	श्री वशिष्ठ मुनी द्विवेदी	परामर्शदाता	चिकित्सा महाविद्यालय रीवा
32.	सुश्री विभा अवस्थी	परामर्शदाता	जिला चिकित्सालय अनूपपुर
33.	सुश्री कविता केशरवानी	लैब तकनीशियन	जिला चिकित्सालय अनूपपुर
34.	श्री श्याम गुप्ता	परामर्शदाता	जिला चिकित्सालय अशोक नगर
35.	सुश्री रुकमणी गुंजाल	परामर्शदाता	तदैव
36.	सुश्री स्वाती चंदेल	लैब तकनीशियन	तदैव
37.	श्री प्रतीक खरे	परामर्शदाता	
38.	सुश्री संगीता वर्मा	परामर्शदाता	जिला चिकित्सालय बालाघाट
39.	श्री देवकांत झोडे	लैब तकनीशियन	तदैव
40.	सुश्री नेहा परिहार	परामर्शदाता	जिला चिकित्सालय बडवानी
41.	श्री नरेन्द्र पाटीदार	लैब तकनीशियन	तदैव

क्र.	नाम	पदनाम	पता
42.	श्री इमरान खान	लैब तकनीशियन	ब्लड बैंक जिला चिकित्सालय बडवानी
43.	श्री अश्वनी नागर	परामर्शदाता	चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल
44.	सुश्री ममता कंधारी	परामर्शदाता	जिला चिकित्सालय बैतूल
45.	सुश्री नमिता मिश्रा	लैब तकनीशियन	तदैव
46.	सुश्री अलका पासने	लैब तकनीशियन	ब्लड बैंक जिला चिकित्सालय बैतूल
47.	श्री प्रफुल्ल तिवारी	लैब तकनीशियन	बुरहानपुर
48.	श्री लालजू शाक्या	परामर्शदाता	चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर
49.	सुश्री सीमा जैन	परामर्शदाता	जिला चिकित्सालय भिंड
50.	सुश्री भारती वर्मा	लैब तकनीशियन	तदैव
51.	श्री कृष्णकांत चतुर्वेदी	परामर्शदाता	जिला चिकित्सालय छतरपुर
52.	सुश्री संगीता तिवारी	परामर्शदाता	तदैव
53.	सुश्री आभा जैन	लैब तकनीशियन	तदैव
54.	श्री विजय भादे	परामर्शदाता	सिविल अस्पताल मुलताई
55.	श्री सोमा यादव	परामर्शदाता	जिला चिकित्सालय छिंदवाडा
56.	सुश्री रीता यमदे	लैब तकनीशियन	तदैव
57.	श्री धर्मेन्द्र रजक	परामर्शदाता	जिला चिकित्सालय दमोह
58.	सुश्री चेतना नायक	परामर्शदाता	तदैव
59.	सुश्री नीतु श्रीवास्तव	लैब तकनीशियन	तदैव
60.	सुश्री प्रीति गुप्ता	लैब तकनीशियन	ब्लड बैंक जिला चिकित्सालय दमोह
61.	श्री मनोज गुप्ता	परामर्शदाता	जिला चिकित्सालय दतिया
62.	सुश्री अर्चना पालीवाल	परामर्शदाता	तदैव
63.	श्री प्रमोद सोनी	लैब तकनीशियन	तदैव
64.	सुश्री चित्रा जैन	परामर्शदाता	जिला चिकित्सालय देवास
65.	सुश्री ज्योति पवार	लैब तकनीशियन	तदैव
66.	श्री नावेद शेख	लैब तकनीशियन	ब्लड बैंक जिला चिकित्सालय देवास

क्र.	नाम	पदनाम	पता
67.	श्री आलोक रंजन मौर्य	परामर्शदाता	हुकुमचंद पालिक्लीनिक इंदौर
68.	सुश्री नंदनी तिवारी	परामर्शदाता	जिला चिकित्सालय इंदौर
69.	श्री पवन के. नेमावत	लैब तकनीशियन	जिला चिकित्सालय धार
70.	श्री जगदीश सी. अरने	लैब तकनीशियन	ब्लड बैंक जिला चिकित्सालय धार
71.	श्री मुकेश अवधिया	परामर्शदाता	सिविल अस्पताल धनपुरी
72.	सुश्री अमिता सिरोठिया	परामर्शदाता	जिला चिकित्सालय डिंडोरी
73.	श्री जितेन्द्र के. रघुवंशी	लैब तकनीशियन	तदैव
74.	सुश्री शैली राय	परामर्शदाता	जिला चिकित्सालय गुना
75.	सुश्री जयश्री शिंदे	लैब तकनीशियन	तदैव
76.	श्री ऋषभ जैन	लैब तकनीशियन	ब्लड बैंक जिला चिकित्सालय गुना
77.	श्री संजय ढाका	परामर्शदाता	जिला चिकित्सालय हरदा
78.	श्री उमाशंकर शर्मा	लैब तकनीशियन	तदैव
79.	प्रकाश चंद्र यादव	परामर्शदाता	जिला चिकित्सालय होशंगाबाद
80.	सीमा सक्सेना	परामर्शदाता	तदैव
81.	बिंदु राठौर (चौहान)	लैब तकनीशियन	तदैव
82.	माया भारिया	परामर्शदाता	जिला चिकित्सालय झाबुआ
83.	देवी लाल पटेल	लैब तकनीशियन	ब्लड बैंक जिला चिकित्सालय झाबुआ
84.	सैययद नुरुल हसन	परामर्शदाता	जिला चिकित्सालय कटनी
85.	नमिता पटेरिया	परामर्शदाता	तदैव
86.	राघवेन्द्र शर्मा	लैब तकनीशियन	तदैव
87.	प्रीति जैन	परामर्शदाता	जिला चिकित्सालय सागर
88.	क्षमा गीते	लैब तकनीशियन	जिला चिकित्सालय खरगौन
89.	राकेश गुजरे	लैब तकनीशियन	ब्लड बैंक जिला चिकित्सालय, खरगौन
90.	हिमांशु सिंगोर	परामर्शदाता	जिला चिकित्सालय मंडला
91.	संध्या सिंह	परामर्शदाता	रानी दुर्गावती अस्पताल जबलपुर
92.	रुबी जार्ज	लैब तकनीशियन	जिला चिकित्सालय मंडला

क्र.	नाम	पदनाम	पता
93.	संध्या सिंह	लैब तकनीशियन	ब्लड बैंक जिला चिकित्सालय मंडला
94.	राजेश रजक	परामर्शदाता	जिला चिकित्सालय मंदसौर
95.	दीप्ति साहू	परामर्शदाता	तदैव
96.	रविन्द्र के. जोशी	लैब तकनीशियन	तदैव
97.	संतोष शर्मा	लैब तकनीशियन	ब्लड बैंक जिला चिकित्सालय मंदसौर
98.	जय तिवारी	परामर्शदाता	जिला चिकित्सालय मुरैना
99.	शिल्पी गुप्ता	परामर्शदाता	तदैव
100.	निधि सोनी	परामर्शदाता	जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर
101.	शिखा नामदेव	लैब तकनीशियन	तदैव
102.	रजनी उमरे	लैब तकनीशियन	ब्लड बैंक जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर
103.	आशीष डेनियल	परामर्शदाता	जिला चिकित्सालय नीमच
104.	अफसाना खान	परामर्शदाता	चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर
105.	कुलदीप सिंह भदौरिया	लैब तकनीशियन	जिला चिकित्सालय नीमच
106.	प्रभात मिश्रा	परामर्शदाता	जिला चिकित्सालय पन्ना
107.	शाईस्ता परवीन अंसारी	परामर्शदाता	तदैव
108.	सौरभ के. गंगेले	लैब तकनीशियन	तदैव
109.	अनुपम सराफ	परामर्शदाता	जिला चिकित्सालय रायसेन
110.	अंतिशा दुबे	परामर्शदाता	जिला चिकित्सालय भोपाल
111.	रविशंकर दुबे	लैब तकनीशियन	जिला चिकित्सालय रायसेन
112.	नीरज वैद्य	परामर्शदाता	जिला चिकित्सालय राजगढ़
113.	साधना बाथम	परामर्शदाता	तदैव
114.	अनुशा पुष्पद	लैब तकनीशियन	तदैव
115.	स्वप्ना राय	लैब तकनीशियन	ब्लड बैंक, जिला चिकित्सालय राजगढ़
116.	अंकिता जोशी	परामर्शदाता	जिला चिकित्सालय रतलाम
117.	नीरज शुक्ला	लैब तकनीशियन	तदैव

क्र.	नाम	पदनाम	पता
118.	रमेश सोलंकी	लैब तकनीशियन	ब्लड बैंक जिला चिकित्सालय
119.	नरेश कुमार नेमा	परामर्शदाता	जिला चिकित्सालय सागर
120.	गीता विश्वकर्मा	लैब तकनीशियन	ब्लड बैंक जिला चिकित्सालय सागर
121.	अमित सोनी	लैब तकनीशियन	ब्लड बैंक जिला चिकित्सालय सागर
122.	सुनिता यादव	परामर्शदाता	जिला चिकित्सालय सागर
123.	अखिल जैन	लैब तकनीशियन	तदैव
124.	मनोज नगाईच	परामर्शदाता	जिला चिकित्सालय सतना
125.	रितु सिंह	परामर्शदाता	चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर
126.	अदिति पांडे	लैब तकनीशियन	जिला चिकित्सालय सतना
127.	तके सिंह	परामर्शदाता	जिला चिकित्सालय सीहोर
128.	एस.जी. रावत	परामर्शदाता	जिला चिकित्सालय सिवनी
129.	राखी मुजुमदार	परामर्शदाता	तदैव
130.	प्रशांत गोस्वामी	परामर्शदाता	जिला चिकित्सालय श्योपुर
131.	हेमंत पचौरी	लैब तकनीशियन	तदैव
132.	ज्ञानेन्द्र गुप्ता	परामर्शदाता	जिला चिकित्सालय शहडोल
133.	पूजा अरोरा	परामर्शदाता	जिला चिकित्सालय शहडोल
134.	ब्रजेश श्रीवास्तव	लैब तकनीशियन	तदैव
135.	जिया उद्दीन खान	लैब तकनीशियन	ब्लड बैंक जिला चिकित्सालय शहडोल
136.	जया माहेश्वरी	परामर्शदाता	तदैव
137.	विनय भार्गव	लैब तकनीशियन	तदैव
138.	पवन कुमार सोनी	लैब तकनीशियन	ब्लड बैंक जिला चिकित्सालय शाजापुर
139.	जी.पी. खरे	परामर्शदाता	चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल
140.	ब्रजेश कुशवाह	लैब तकनीशियन	जिला चिकित्सालय शिवपुरी

क्र.	नाम	पदनाम	पता
141.	योगेश दुबे	लैब तकनीशियन	ब्लड बैंक जिला चिकित्सालय ,शिवपुरी
142.	सिद्धार्थ तिवारी	परामर्शदाता	जिला चिकित्सालय सीधी
143.	रचना त्रिपाठी	परामर्शदाता	चिकित्सा महाविद्यालय रीवा
144.	संतोष तिवारी	लैब तकनीशियन	जिला चिकित्सालय सीधी
145.	नीरज तिवारी	परामर्शदाता	जिला चिकित्सालय टीकमगढ़
146.	प्रशांत झारखडिया	लैब तकनीशियन	तदैव
147.	आशीष आग्नेय	लैब तकनीशियन	ब्लड बैंक जिला चिकित्सालय टीकमगढ़
148.	नवीन एच. सातले	परामर्शदाता	जिला चिकित्सालय उज्जैन
149.	निधि तिवारी	परामर्शदाता	तदैव
150.	अखिलेश परमार	लैब तकनीशियन	तदैव
151.	मिथलेश चौधरी	लैब तकनीशियन	ब्लड बैंक जिला चिकि.उज्जैन
152.	दीपक नरिया	लैब तकनीशियन	ब्लड बैंक जिला चिकि.उज्जैन
153.	जिनेन्द्र जैन	परामर्शदाता	ए.आर.टी. केन्द्र इंदौर
154.	मीनाक्षी उपाध्याय	परामर्शदाता	जिला चिकित्सालय उमरिया
155.	सुनील के. शर्मा	लैब तकनीशियन	तदैव
156.	अनुपम बोहरे	परामर्शदाता	जिला चिकित्सालय विदिशा
157.	ज्योति दुबे	परामर्शदाता	तदैव
158.	अमित गोडाने	परामर्शदाता	जिला चिकित्सालय खडंवा
159.	संगीता सुरपाल	लैब तकनीशियन	तदैव
160.	रितु श्रीवास्तव	लैब तकनीशियन	पी.पी.टी.सी.टी. ग्वालियर
161.	गीता सिंह	परामर्शदाता	पी.पी.टी.सी.टी. भोपाल
162.	दीपिका भार्गव	लैब तकनीशियन	तदैव
163.	शिवानी वाजपेयी	परामर्शदाता	पी.पी.टी.सी.टी. इंदौर
164.	हीरा शर्मा	लैब तकनीशियन	तदैव
165.	सुमरन सिंह	लैब तकनीशियन	पी.पी.टी.सी.टी. जबलपुर
166.	शायला शमीम	लैब तकनीशियन	पी.पी.टी.सी.टी. रीवा

बिन्दु क्र. 11— प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति

कृपया जानकारी निम्नानुसार:—

क्र. स.	नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक	पारितोषिक/ पारितोषिक भत्ता	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गई हो
1.	श्री ओमेश मुंदडा	परियोजना संचालक	18,400/—	22,352/—	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार
2.	श्री यू.सी. यादव	संयुक्त संचालक	15,750/—	26,852/—	तदैव
3.	डॉ. किरण शेजवार	संयुक्त संचालक	15,750/—	25,592/—	तदैव
4.	डॉ. प्रमोद चन्द्रा	उप संचालक	13575/—	21889/—	तदैव
5.	डॉ. आर.के.डेहरिया	उप संचालक	12600/—	21718/—	तदैव
6.	डा. आर.गुमाश्ता	उप संचालक	11950/—	19702/—	तदैव
7.	श्री व्ही.आर.निरगुडकर,	वित्त अधिकारी	8825/—	10609/—	तदैव
8.	श्रीमती सुनीला शर्मा राजा	एन.जी.ओ. सलाकार	15000/—	1000/—	तदैव
9.	श्रीमती श्रद्धा बोस,	उप संचालक	30000/—	1000/—	तदैव
10.	श्रीमती सविता ठाकुर	उप संचालक	15000/—	1000/—	तदैव
11.	श्री प्रशांत मलैया,	उप संचालक	15000/—	1000/—	तदैव
12.	श्री धीरेन्द्र उरमलिया	सहायक संचालक	15000/—	1000/—	तदैव
13.	श्री अतीश श्रीवास्तव	सहायक संचालक	10400/—	1000/—	तदैव
14.	श्री अरूण मावलंकर,	सहायक संचालक	10400/—	1000/—	तदैव
15.	श्री आर.एन. त्रिपाठी,	उपार्जन अधिकारी	8125/—	9631/—	तदैव
16.	श्री प्रशांत मेहता,	प्रशासकीय अधिकारी	8000/—	12361/—	तदैव
17.	श्रीमती अनिता शर्मा,	लेखापाल	7700/—	11942/—	तदैव

क्र. स.	नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक	पारितोषिक/ पारितोषिक भत्ता	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गई हो
18.	श्री रजनीश दुबे	लेखा सहायक	7000/-	10964/-	तदैव
19.	श्री बी.एल.शर्मा,	लेखा सहायक	4759/-	1000/-	तदैव
20.	श्रीमती अंकिता जैन,	स्टेनो	8300/-	12117/-	तदैव
21.	श्री प्रणेश वारिज	वरि. सूचना सहायक	6125/-	9662/-	तदैव
22.	श्री पंकज पागे	वरि. सूचना सहायक	6125/-	9172/-	तदैव
23.	श्री अतुल त्रिपाठी	सहायक	4250/-	7395/-	तदैव
24.	डॉ. डी.एम. सक्सेना	इपिडेमियोलॉजिस्ट	50000/-	—	तदैव
25.	डॉ. बसंत श्रीवास्तव	सलाहकार	20000/-	1000/-	तदैव
26.	श्री नीरज मुकर्जी	एम. एण्ड ई अधिकारी	17000/-	1000/-	तदैव
27.	श्री दीपक सरकार	सलाहकार युवा मामले	15000/-	—	तदैव
28.	श्रीमती नीतू अग्रवाल,	कम्प्यू. लिटरेट स्टेनो	13200/-	1000/-	तदैव
29.	श्री सुरेन्द्र रावत	डिविजनल असिस्टेंट	12400/-	1000/-	तदैव
30.	श्री कुंवरसिंह डाबर	डिविजनल असिस्टेंट	11200/-	1000/-	तदैव
31.	श्री योगम्बर रावत	डिविजनल असिस्टेंट	10400/-	1000/-	तदैव
32.	श्री प्रदीप परदेशी	सूचना सहायक	3950/-	6585/-	तदैव
33.	श्री के.पी. पिल्लई	वाहन चालक	4510/-	7368/-	तदैव
34.	श्री कमलसिंह नरवरिया,	भृत्य	3410/-	4934/-	तदैव
35.	श्री मो. साकिब सिद्धिकी	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
36.	सुश्री रेखा अग्रवाल	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
37.	सुश्री सुमन भिलवार	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
38.	श्रीयशवंत नामदेव	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
39.	श्री इंदुलाल शाक्या	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
40.	श्री राजीव पांडे	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
41.	सुश्री गायत्री गंगराडे	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव

क्र. स.	नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक	पारितोषिक/ पारितोषिक भत्ता	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गई हो
42.	श्री अनिसा खान	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
43.	श्री अनुज सेन	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
44.	श्री शैलेन्द्र ठाकुर	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
45.	सुश्री रेखा बाथम	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
46.	सुश्री शबाना खान	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
47.	श्री राजेश भंडारी	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
48.	श्री सचिन पाटीदार	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
49.	सुश्री तृप्ति भाटिया	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
50.	श्री ओमप्रकाश साहू	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
51.	सुश्री प्रतिक्षा डाले	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
52.	सुश्री प्रीति खेर	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
53.	सुश्री प्रेरणा रघुवंशी	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
54.	सुश्री अनुराधा अग्रवाल	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
55.	श्री विक्रम खरे	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
56.	सुश्री जयमाला भिलावे	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
57.	सुश्री मंजू गंगाधरन	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
58.	सुश्री एकता राय	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
59.	सुश्री रिचा शर्मा	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
60.	सुश्री श्वेता मोदी	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
61.	श्री गिरीश मंडलोई	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
62.	श्री अतुल करकरे	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
63.	सुश्री श्रद्धा श्रीवास्तव	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
64.	श्री कृष्णकांत वर्मा	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
65.	श्री वशिष्ठ मुनी	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
66.	सुश्री विभा अवस्थी	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव

क्र. स.	नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक	पारितोषिक/ पारितोषिक भत्ता	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गई हो
67.	सुश्री कविता केसरवानी	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
68.	श्री श्याम गुप्ता	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
69.	सुश्री रूकमणी गुंजाल	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
70.	सुश्री स्वाती चंदेल	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
71.	श्री प्रतीक खरे	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
72.	सुश्री संगीता वर्मा	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
73.	श्री देवकांत झोडे	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
74.	सुश्री नेहा परिहार	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
75.	श्री नरेन्द्र पाटीदार	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
76.	श्री इमरान खान	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
77.	श्री अश्वनी नागर	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
78.	सुश्री ममता कंधारी	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
79.	सुश्री नमिता मिश्रा	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
80.	सुश्री अलका पासने	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
81.	श्री प्रफुल्ल तिवारी	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
82.	श्री लालजू शाक्या	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
83.	सुश्री सीमा जैन	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
84.	सुश्री भारती वर्मा	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
85.	श्री कृष्णकांत चतुर्वेदी	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
86.	सुश्री संगीता तिवारी	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
87.	सुश्री आभा जैन	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
88.	श्री विजय भादे	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
89.	श्री सोमा यादव	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
90.	सुश्री रीता यमदे	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव

क्र. स.	नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक	पारितोषिक/ पारितोषिक भत्ता	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गई हो
91.	श्री धर्मेन्द्र रजक	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
92.	सुश्री चेतना नायक	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
93.	सुश्री नीतू श्रीवास्तव	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
94.	सुश्री प्रीति गुप्ता	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
95.	श्री मनोज गुप्ता	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
96.	सुश्री अर्चना पालीवाल	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
97.	श्री प्रमोद सोनी	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
98.	सुश्री चित्रा जैन	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
99.	सुश्री ज्योति पवार	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
100.	श्री नावेद शेख	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
101.	श्री आलोक रंजन मौर्य	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
102.	सुश्री नंदनी तिवारी	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
103.	श्री पवन के. नेमावत	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
104.	श्री जगदीश सी. अरने	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
105.	श्री मुकेश अवधिया	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
106.	सुश्री अमिता सिरोठिया	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
107.	श्री जितेन्द्र के. रघुवंशी	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
108.	सुश्री शैली राय	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
109.	सुश्री जयश्री शिंदे	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
110.	श्री ऋषभ जैन	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
111.	श्री संजय ढाका	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
112.	श्री उमाशंकर शर्मा	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव

क्र. स.	नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक	पारितोषिक/ पारितोषिक भत्ता	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गई हो
113.	प्रकाश चंद्र यादव	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
114.	सीमा सक्सेना	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
115.	बिंदु राठौर (चौहान)	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
116.	देवी लाल पटेल	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
117.	सैय्यद नुरुल हसन	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
118.	नमिता पटेरिया	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
119.	राघवेन्द्र शर्मा	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
120.	प्रीति जैन	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
121.	क्षमा गीते	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
122.	राकेश गुजरे	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
123.	हिमांशु सिंगोर	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
124.	संध्या सिंह	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
125.	रूबी जार्ज	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
126.	संध्या सिंह	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
127.	राजेश रजक	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
128.	दीप्ति साहू	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
129.	रविन्द्र के. जोशी	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
130.	संतोष शर्मा	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
131.	जय तिवारी	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
132.	शिल्पी गुप्ता	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
133.	निधि सोनी	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
134.	शिखा नामदेव	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
135.	रजनी उमरे	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
136.	आशीष डेनियल	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
137.	अफसाना खान	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
138.	कुलदीप सिंह भदौरिया	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव

क्र. स.	नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक	पारितोषिक/ पारितोषिक भत्ता	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गई हो
139.	प्रभात मिश्रा	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
140.	शाईस्ता परवीन अंसारी	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
141.	सौरभ के. गंगेले	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
142.	अनुपम सराफ	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
143.	अंतिशा दुबे	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
144.	रविशंकर दुबे	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
145.	नीरज वैद्य	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
146.	साधना बाथम	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
147.	अनुशा पुष्पद	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
148.	स्वप्ना राय	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
149.	अंकिता जोशी	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
150.	नीरज शुक्ला	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
151.	रमेश सोलंकी	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
152.	नरेश कुमार नेमा	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
153.	गीता विश्वकर्मा	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
154.	अमित सोनी	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
155.	सुनिता यादव	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
156.	अखिल जैन	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
157.	मनोज नगाईच	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
158.	रितु सिंह	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
159.	अदिति पांडे	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
160.	टके सिंह	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
161.	एस.जी. राउत	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
162.	राखी मुजूमदार	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
163.	प्रशांत गोस्वामी	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
164.	हेमंत पचौरी	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव

क्र. स.	नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक	पारितोषिक/ पारितोषिक भत्ता	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गई हो
165.	ज्ञानेन्द्र गुप्ता	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
166.	पूजा अरोरा	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
167.	ब्रजेश श्रीवास्तव	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
168.	जिया उद्दीन खान	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
169.	जया माहेश्वरी	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
170.	विनय भार्गव	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
171.	पवन कुमार सोनी	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
172.	जी.पी. खरे	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
173.	ब्रजेश कुशवाह	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
174.	योगेश दुबे	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
175.	सिद्धार्थ तिवारी	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
176.	रचना त्रिपाठी	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
177.	संतोष तिवारी	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
178.	नीरज तिवारी	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
179.	प्रशांत झारखडिया	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
180.	आशीष आग्नेय	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
181.	नवीन एच. सातले	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
182.	निधि तिवारी	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
183.	अखिलेश परमार	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
184.	मिथलेश चौधरी	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
185.	दीपक नरिया	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
186.	जितेन्द्र जैन	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
187.	मीनाक्षी उपाध्याय	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
188.	सुनील के. शर्मा	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
189.	अनुपम बोहरे	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
190.	ज्योति दुबे	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
191.	अमित गोडाने	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव

क्र. स.	नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक	पारितोषिक/ पारितोषिक भत्ता	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गई हो
192.	संगीता सुरपाल	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
193.	रितु श्रीवास्तव	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
194.	गीता सिंह	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
195.	दीपिका भार्गव	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
196.	शिवानी वाजपेयी	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव
197.	हीरा शर्मा	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
198.	सुमरन सिंह	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
199.	शायला शमीम	लैब तकनीशियन	6500/-	—	तदैव
200.	माया भारिया	परामर्शदाता	6500/-	—	तदैव

बिन्दु क्र.12- आवंटित बजट (सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना)

वर्ष 2004-06 से

(राशि रूपये लाख में)

क्र.	वर्ष	मद	प्रस्तावित बजट	स्वीकृत बजट	नाको द्वारा प्रदान (किशतों में)	कुल व्यय
1	2004-2005	एड्स नियंत्रण कार्यक्रम		1115.32	40.00 300.00 300.00 75.00 715.00	478.64
2	2005-06	तदैव		1842.86	180.50 100.00 150.00 391.00 821.50	579.63
3	2006-07	तदैव		1846.38		

बिन्दु क्र.13- कार्यक्रम एवं लाभार्थी (2004-05) आपके विभाग द्वारा चलाई जाने वाली सब्सिडी कार्यक्रम की जानकारी

क्र.	कार्यक्रम का नाम	आवंटित बजट	व्यय	लाभार्थियों की संख्या
1	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

बिन्दु क्र.14- आपके विभाग द्वारा दिए जाने वाले परमिट, रियायतें और अधिकार प्रदत्त सुविधाओं का विवरण

क्र.	परमिट/ रियायतों का विवरण	परमिट/रियायत पाने वाले व्यक्तियों का विवरण (नाम ,पता आदि)	रियायत की राशि/अनुमानित राशि
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

बिन्दु क्र.15— कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक नियम :

प्रदेश में एच.आई.वी. जांच की सुविधा उच्च जोखिम समूहों के साथ ही जनसामान्य को उपलब्ध कराने के लिए स्वैच्छिक परामर्श एवं जांच केन्द्रों की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के द्वारा वी.सी.टी.सी. का नाम परिवर्तित कर आई.सी.टी.सी. अर्थात् एकीकृत परामर्श एवं जांच केन्द्र किया गया है। इन केन्द्रों के सफल संचालन हेतु निम्न दिशानिर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें :-

● परामर्श प्रक्रिया

- एच.आई.वी./एड्स रोग के सन्दर्भ में परामर्श प्रक्रिया अत्यधिक महत्वपूर्ण है। एच.आई.वी./एड्स परामर्श की मानकीकृत प्रक्रिया के विभिन्न चरण हैं, जिनका पालन अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित करें ये चरण निम्न हैं :-
 - ✓ एच.आई.वी./एड्स परामर्श या जांच कराने आने वाले रोगी /व्यक्ति को सीधे परामर्शदाता के पास भेजा जावे। रोगी /व्यक्ति रेफर होकर आया हो अथवा वह स्वयं स्वैच्छिक रूप से आया हो उसे नोडल अधिकारी/आई.सी.टी.सी.प्रभारी के पास पहले भेजने की आवश्यकता नहीं है।
 - ✓ जांच पूर्व परामर्श :-एच.आई.वी./एड्स की जांच कराने आने वाले प्रत्येक रोगी /व्यक्ति को जांच पूर्व परामर्श दिया जाना अनिवार्य है,इस प्रक्रिया में संबंधित को एच.आई.वी./एड्स रोग संबंधी जानकारी,कारण,लक्षणों,बचाव,परामर्श एवं परीक्षण प्रक्रिया, परीक्षण परिणामों के अर्थ के संबंध में विस्तार से अवगत कराया जाता है। प्रत्येक रोगी /व्यक्ति द्वारा दी गयी जानकारी की गोपनीयता रखा जाना अनिवार्य है।
 - ✓ जांच पश्चात परामर्श :-एच.आई.वी./एड्स जांच के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर के पश्चात ही संबंधित रोगी /व्यक्ति की एच.आई.वी.जांच की जाये,जांच उपरांत रोगी /व्यक्ति को परिणाम बताने के साथ जांच पश्चात परामर्श प्रदान किया जाये, जांच पश्चात परामर्श के अंतर्गत एच.आई.वी.जांच के परिणामों,भविष्य की योजनाओं,रेफरल सेवाओं एवं लिंगकेजेज,सहयोगी तंत्र आदि पर चर्चा की जाये।

- ✓ **अनुसरण :-**अनुसरण (फालोअप) में रोगी /व्यक्ति को समय-समय पर आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहायता उपलब्ध कराना,साथ ही रोगी /व्यक्ति के परिजनो,मित्रो को उसकी सहायता/देखभाल के संबंध में जानकारी प्रदान करना है ।

● जांच प्रक्रिया

- ✓ एच.आई.वी./एड्स जांच के पूर्व रोगी /व्यक्ति को पूर्णतः अवगत कराकर लिखित सहमति लेना अनिवार्य है ।
- ✓ यदि रोगी /व्यक्ति की बिना लिखित सहमति के एच.आई.वी./एड्स जांच हेतु रक्त नमूनें (ब्लड सैंपल) लेकर जांच की जाती है तो इस स्थिति में रोगी /व्यक्ति द्वारा कानूनी कार्यवाही की जा सकती है ।
- ✓ एच.आई.वी./एड्स जांच के परिणाम को प्रशिक्षित माइक्रोबायलॉजिस्ट/पेथोलॉजिस्ट के द्वारा सत्यापित कर केवल परामर्शदाताओं के माध्यम से रोगी /व्यक्ति को दी जायेगी न कि सीधे रोगी /व्यक्ति को ।
- ✓ एच.आई.वी./एड्स जांच संबंधी समस्त दस्तावेजो में स्थानीय भाषा का प्रयोग किया जाएगा एवं रोगी /व्यक्ति के नाम के स्थान पर केवल पी.आई.डी. नंबर का प्रयोग किया जाएगा ।
- ✓ एच.आई.वी.धनात्मक या ऋणात्मक परिणामों की रिपोर्ट में किसी भी प्रकार का रंग,स्याही,कागज या अन्य आधार पर विभेदन नहीं किया जाएगा ।

● एच.आई.वी.जांच प्रक्रिया

- एच.आई.वी.रेपिड परीक्षण हेतु तीन अलग-अलग एंटीजन/प्रिंसीपल की परीक्षण किट का प्रयोग किया जाता है ।
- यदि प्रथम रेपिड किट से जांच में परिणाम सेरो निगेटिव है तो क्लाइंट को निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दी जाती है एवं सेम्पल की आगे जांच की आवश्यकता नहीं है ।
- यदि प्रथम रेपिड किट से जांच में परिणाम सीरो पॉजिटिव है तो सेम्पल की आगे दो अलग-अलग एंटीजन की परीक्षण किटों (कुल 3 किट)से जांच की जाती है यदि तीनों रेपिड परीक्षण किटों के परिणाम सीरो पॉजिटिव है तो क्लाइंट को पाजिटिव टेस्ट रिपोर्ट दी जाती है एवं सेम्पल को आगे पुष्टिकरण के लिए रेफरल सेन्टर भेजने की आवश्यकता नहीं होती है यह टेस्ट रिपोर्ट परीक्षण पश्चात् परामर्श के उपरांत क्लाइन्ट को प्रदान की जावे ।

- यदि प्रथम रैपिड किट परीक्षण में सेम्पल सीरो पॉजिटिव है किन्तु आगे के दो अलग –अलग ऐन्टीजन की परीक्षण किटों से की गई जांच में सेम्पल सीरो निगेटिव है या किसी एक किट में सेम्पल सीरो निगेटिव आता है तो ऐसे परिणाम को अनिर्धारित (इनडिटरमिनेन्ट) की श्रेणी में रखा जावे ।
 - यदि क्लाइन्ट का व्यवहार एच. आई. वी. के संदर्भ में जोखिम युक्त नहीं है तो ऐसे क्लाइन्ट को इनडिटरमिनेन्ट परिणाम आने पर निगेटिव रिपोर्ट दी जावे ।
 - यदि क्लाइन्ट पिछले तीन माह में एच. आई. वी. वायरस से एक्सपोज्ड हुआ हो तो ऐसे क्लाइन्ट को चार से छः सप्ताह पश्चात् पुनः रक्त परीक्षण हेतु बुलाया जावे ।
 - यदि क्लाइन्ट के दुबारा रक्त परीक्षण में परिणाम इनडिटरमिनेन्ट है तो ऐसे रक्त नमूने (सेम्पल) के सीरम को पुष्टिकरण हेतु रेफरल लेबोरेटरी भेजा जावे (संबद्ध चिकित्सा महाविद्यालय/आर.एम.आर.सी./सी.एच.आर.सी.) यदि रेफरल लेबोरेटरी में भी परिणाम इनडिटरमिनेन्ट हो तो क्लाइन्ट को (3/6/12 माह) पश्चात् पुनः रक्त परीक्षण हेतु बुलाया जावे ।
 - यदि 12 माह (एक वर्ष) पश्चात् भी सेम्पल का परिणाम इनडिटरमिनेन्ट हो तो क्लाइन्ट को एच. आई. वी. ऐन्टीबाडी निगेटिव मान कर निगेटिव की रिपोर्ट प्रदान की जावे ।
- लिंगेजेस एवं रैफरल (आई.सी.टी.सी.. में रैफर करने के लिए एवं आई.सी.टी.सी. से रैफर करने के लिए :-
 - लिंगेजेस एवं रैफरल के लिए परामर्शदाताओं एवं लैब तकनीशियन के स्तर से कार्यवाही की जावे ।
 - आई.सी.टी.सी. में आने वाले सभी क्लाइंट्स को उनकी आवश्यकता के अनुसार रैफरल सर्विस सेवाएं उपलब्ध कराई जाए ।
 - क्लाइंट्स को निर्धारित सेवाएं प्रदान करने के लिए आई.सी.टी.सी. को लिंक केन्द्र से जोड़ा गया है जो निम्न है:-
 - ✓ पी.एल.एच.ए. नेटवर्क :-स्थानीय पी.एल.एच.ए. नेटवर्क से समन्वय कर एच.आई. वी. धनात्मक व्यक्तियों के सतत संपर्क में रहकर उन्हें आवश्यक सहायता, मार्गदर्शन एवं देखभाल संबंधी जानकारियाँ / सलाह प्रदान करें ।

- ✓ एस.टी.डी. क्लीनिक – एस.टी.डी. क्लीनिक आने वाले सभी यौन रोगियों को आई.सी.टी.सी. एवं आई.सी.टी.सी. में आने वाले यौन रोगियों को एस.टी.डी. क्लीनिक में रैफर कराने हेतु संबंधित चिकित्सकों के साथ समन्वय किया जाय ।
- ✓ टी.बी. क्लीनिक (आर.एन.टी.सी.पी.) :- ऐसे सभी टी.बी. के रोगी जो मल्टी ड्रग रजिस्टेंट (एम.डी.आर.) है या रिलेप्स केसेज है उन्हें आई.सी.टी.सी. में रैफर हेतु डी.टी.ओ. एवं आई.सी.टी.सी. में आने वाले टी.बी. रोगियों को टी.बी. क्लीनिक में रैफर करने हेतु डी.टी.ओ. के साथ समन्वय किया जाए ।
- ✓ एन्टीनेटल क्लीनिक :- समस्त गर्भवती महिलाएं, जो उच्च जोखिम वर्ग में आती है उन्हें आई.सी.टी.सी. में रैफर हेतु ए.एन.सी. प्रभारी से समन्वय किया जाए ।
- ✓ रक्त कोष :- चिकित्सालय स्थित रक्तकोष से समन्वय कर रक्तदाताओं से रक्तदान के पूर्व स्वैच्छिक सहमति पत्र भरवाने हेतु रक्तकोष अधिकारी से अनुरोध करें एवं ऐसे रक्तदाता जिनका एच.आई.वी. स्टेट्स धनात्मक है उन्हें आई.सी.टी.सी. में रैफर करने हेतु भी रक्तकोष अधिकारी से अनुरोध करें ।
- ✓ चिकित्सालय के अन्य चिकित्सक:- चिकित्सालय की ओ.पी.डी. के चिकित्सको से समन्वय कर उन्हें संभावित एच.आई.वी. रोगियों को आई.सी.टी.सी. में रैफर करने हेतु प्रोत्साहित करें ।
- ✓ अन्य चिकित्सालयों से समन्वय:- जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रभारियों से समन्वय कर संभावित एच.आई.वी. रोगियों को आई.सी.टी.सी. में रैफर करवाएं, इसके साथ ही जिले के अन्य निजी चिकित्सालयों से भी संपर्क कर उनके यहा भर्ती होने वाले या उपचार कराने वाले एच.आई.वी. संभावितों को आई.सी.टी.सी. में रैफर करने हेतु प्रोत्साहित करें, साथ ही ऐसे व्यक्ति जिन्हें चिकित्सकीय उपचार एवं अन्य सहायता की आवश्यकता है उन्हें आई.सी.टी.सी. से निकटतम संबंधित चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र या अन्य उपचार केन्द्रों पर रैफर किया जाए ।
- ✓ आर.सी.एच. कार्यक्रम:- आर.सी.एच.कार्यक्रम के जिला परियोजना प्रबंधक के साथ समन्वय कर आर.सी.एच. कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित होने वाले शिविरों से यौन रोगियों, संभावित एच.आई.वी. रोगियों को आई.सी.टी.सी. में रैफर करवाएं एवं यदि संभव हो सके तो इन शिविरों में सहभागिता भी करें ।

- ✓ अशासकीय संगठनों से समन्वय—जिले में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे स्वयं सेवी संगठनों, लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजनाओं से संभावित एच.आई.वी. रोगियों को आई.सी.टी.सी. में रैफर करने हेतु समन्वय करें।

बिन्दु क्र.16— आपके विभाग में जो सूचना इलेक्ट्रानिक तरीके से उपलब्ध है उसका विवरण

क्र.	सूचना का विवरण	किस तरीके (Web Site, CD) इत्यादि उपलब्ध है	हार्ड कॉपी के रूप में
1	वेबसाईट mpsacsb@ sancharnet.in	वेबसाईट	पूर्व में उल्लेखित

बिन्दु क्र.17— सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण—

सूचनाओं को जगह तक पहुँचाने के लिए समिति कार्यालय में पुस्तकालय, सूचना पटल, अभिलेख, दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने की व्यवस्था एवं समिति की वेबसाईट व प्रचार—प्रसार सामग्री उपलब्ध है।

बिन्दु क्र.18— लोक प्राधिकरण से जनमानस द्वारा सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न व उनके उत्तर आदि का विवरण —

सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के अंतर्गत निर्धारित परिपत्र—1 या सादे कागज पर आवेदन के साथ रूपये 10/— नगद/नान ज्यूडिशियल स्टाम्प के साथ प्रस्तुत करने पर निर्धारित समय—सीमा 30 दिवस के अंदर जानकारी उपलब्ध कराई जावेगी। चाही गई जानकारी ए—4 साईज पेपर पर छायाप्रति प्रति पृष्ठ 2/— रूपये एवं ए—3 साईज पर छायाप्रति प्रति पृष्ठ —4/— रूपये एवं कम्प्यूटर टाईप्ड/हस्तलिखित प्रति पृष्ठ रूपये 10/— शुल्क देय होगी। परिपत्र संलग्न।

मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी का विवरण :—

नाम — डॉ. यू.सी.यादव,

पद	—	संयुक्त संचालक (रक्त सुरक्षा)
दूरभाष क्र.	—	0755– 2577628, 2577629
ई.मेल	—	mpsacsb@gmail.com
कार्यालय का पता	—	मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 1, अरेरा हिल्स, द्वितीय तल, तिलहन संघ भवन, भोपाल।
संपर्क समय	—	प्रातः 11:00 बजे से सांय 5:30 बजे तक

जनता को सूचना प्रदान करने संबंधी अन्य कोई विवरण –

सूचना का अधिकारी संबंधी सूचना पटल कार्यालय के स्वागत कक्ष पर प्रदर्शित है।

संलग्नक :- प्रपत्र एक

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
(सूचना का अधिकार अधिनियम– 2005 की धारा 6
(1) के अंतर्गत आवेदन पत्र का प्रारूप)

1. आवेदक का नाम : _____
2. पूरा पता/ई-मेल/फैक्स जिस पर
जानकारी प्रेषित की जाना है : _____
3. दूरभाष क्र. : _____

4. आवेदन देने का दिनांक : _____
5. कार्यालय का नाम : _____
6. चाही गई जानकारी का नाम : _____
7. क्या चाहते हैं नकल/निरीक्षण/रिकार्ड : _____
निरीक्षण/रिकार्ड की प्रमाणित प्रति/
प्रमाणित नमूना।
9. आवेदक के साथ अदा किये जाने वाले प्रोसेस : _____
फी-रूपये 10/- नगद/स्टाम्प (बी.पी.एल. सूची
के सदस्य को देय नहीं) रसीद क्र. एवं
दिनांक
10. क्या आवेदक गरीबी की रेखा के नीचे
है अथवा नहीं हां/नहीं : _____
यदि हां तो बी.पी.एल. सूची का अनुक्रमांक : _____

हस्ताक्षर
(आवेदनकर्ता)

टीप: यदि आवेदक द्वारा डाक से आवेदन प्रेषित किया जाता है तो आवेदन पत्र पर रूपये 10/- का नान ज्यूडिशियल स्टाम्प चसपा करते हुए स्वयं का पता अंकित करते हुए आवश्यक राशि का डाक टिकिट लगा लिफाफा संलग्न प्रेषित करें।

पावती

-
1. आवेदन प्राप्त होने का दिनांक : _____
2. आवेदनकर्ता को वांछित जानकारी
प्राप्त करने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही : _____
हेतु उपस्थित होने का दिनांक
3. संबंधित शाखा/अधिकारी जहाँ से : _____
जानकारी उपलब्ध होगी
(लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राधिकृत)
दिनांक.....

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
पदनाम (रबर सील)

